संख्याः–423/XXVII (1)/2010

प्रेषक,

एल.एम. पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 27 :जुलाई,2010

विषयः–13वों वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2010–11 के लिए समस्त क्षेत्र पंचायतों को प्रथम किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किश्त हेतु कुल धनराशि रू0 82560000.00 (रू0 आठ करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार मात्र) को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3– 13वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:–

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4– कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5– जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

संयुक्त निदेशक
16/8/10

6– अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तरराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 तक उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। **यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

7– संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8–संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

(9) संकमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–197–विकास खण्ड स्तरीय पंचायत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–13वॉं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

26/7/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

संख्या 423 /(XXVII (1)/2010, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड–देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांकः15. 12.2010 तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र सचिव, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

26/7/20

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः 423 /XXVII (i)/2010
दिनांकः 27 :जुलाई,2010 का संलग्नक।

13वीं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु क्षेत्र पंचायतों को देय संक्रमण।

(धनराशि हजार में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2010—11 हेतु देय प्रथम किश्त
1	2	3
अल्मोड़ा	भैसियाछाना	284
	भिकियासैण	421
	चौखुटिया	502
	धौलादेवी	1034
	द्वाराहाट	621
	हवलबाग	575
	लमगड़ा	687
	सल्ट	884
	स्याल्दे	707
	ताकुला	380
	ताडीखेत	963
	योगः—	7058
बागेश्वर	बागेश्वर	1043
	गरूड़	490
	कपकोट	967
	योगः—	2500
चमोली	दशोली	594
	देवाल	467
	गैरसैण	921
	घाट	432
	जोशीमठ	1290
	कर्णप्रयाग	789
	नारायणबगड़	437
	पोखरी	526
	थराली	422
	योगः—	5878
चम्पावत	बाराकोट	264
	चम्पावत	1059

13वों वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु क्षेत्र पंचायतों को देय संक्रमण।

(धनराशि हजार में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2010–11 हेतु देय प्रथम किश्त
	लोहाघाट	342
	पाटी	460
	योगः–	2125
देहरादून	चकराता	866
	डोईवाला	1160
	कालसी	890
	रायपुर	1191
	सहसपुर	1481
	विकासनगर	1179
	योगः–	6767
हरिद्वार	बहादराबाद	3260
	भगवानपुर	1719
	खानपुर	530
	लक्सर	1042
	नारसन	1465
	रुड़की	1264
	योगः–	9280
नैनीताल	बेतालघाट	518
	भीमताल	414
	धारी	260
	हल्द्वानी	1296
	कोटाबाग	416
	ओखलकाण्डा	680
	रामगढ़	452
	रामनगर	662
	योगः–	4698
पौड़ी	बीरोंखाल	1287
	दुगड्डा	2545
	द्वारीखाल	1560
	एकेश्वर	781
	कल्जीखाल	1001

13वों वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु क्षेत्र पंचायतों को देय संक्रमण।

(धनराशि हजार में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2010–11 हेतु देय प्रथम किश्त
	खिर्सू	531
	कोट	730
	लैंसडाऊन	1012
	नैनीडांडा	1276
	पाबो	1034
	पौड़ी	643
	पोखड़ा	518
	रिखणीखाल	954
	थलीसैण	1743
	यमकेश्वर	1579
	योगः–	17194
पिथौरागढ	बेरीनाग	817
	धारचूला	1182
	डीडीहाट	330
	गंगोलीहाट	980
	कनालीछीना	458
	मुनाकोट	484
	मुनस्यारी	1345
	पिथौरागढ	465
	योगः–	6061
रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	1290
	जखोली	638
	ऊखीमठ	669
	योगः–	2597
टिहरी गढ़वाल	भीलंगना	2194
	चम्बा	594
	देवप्रयाग	709
	जाखणीधार	469
	जौनपुर	964
	कीर्तिनगर	440
	नरेन्द्रनगर	529

13वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु क्षेत्र पंचायतों को देय संक्रमण।

(धनराशि हजार में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2010–11 हेतु देय प्रथम किश्त
	प्रतापनगर	515
	थौलधार	473
	योगः–	6887
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	738
	गदरपुर	609
	जसपुर	692
	काशीपुर	528
	खटीमा	1794
	रूद्रपुर	733
	सितारगंज	1884
	योगः–	6978
उत्तरकाशी	भटवाडी	849
	चिन्यालीसौड	510
	डुण्डा	591
	मोरी	698
	नौगॉव	1600
	पुरोला	289
	योगः–	4537
	महायोगः–	82560

(रू0 आठ करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार मात्र)

26/7/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।